CE-RO/LKO/Estimate/NH-29E(Km.81 to 98)/2018-19

भारत सरकार

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(जोन-1)

1, संसद मार्ग, परिवहन भवन, नई दिल्ली-110 001

दिनांक 20 सितम्बर, 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
जनपद सचिवालय बिल्डिंग,
लखनऊ

विषय: Four lane widening and strengthening of NH-29E from Km 81+420 (Jungle Kaudiya) to Km 98+945 (Mohaddipur Chowk Road) [Design km 81.420 to km. 98.935] in the State of Uttar Pradesh on EPC Basis.

संदर्भ: मुख्य अभियन्ता (रा0मा0), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक 3323एनएच/150एन/17 दिनांक 27.08.2018.

<u>(Job No.NH-29E-UP-2017-18-557)</u>

महोदय,

उपरोक्त कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता (रा0मा0), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक 3323एनएच/150एन/17 दिनांक 27.08.2018 द्वारा प्रेषित किये गये 323.36 करोड़ रुपये के आगणन के संदर्भ में मुझे इस मंत्रालय के पत्रांक एन0एच0 12014/06/2017/यू0पी0/जोन–1 दिनांक 9.03.2018 में उल्लेखित आदेशों के आंशिक संशोधन के फलस्वरूप, संलग्न तकनीकी नोट में दी गई शर्तों के अध्यधीन विषय शीर्षक में उल्लेखित निर्माण कार्य के लिए संशोधित प्राक्कलन हेतु 323.36 करोड़ रुपये (रुपये तीन सौ तेईस करोड़ और छत्तीस लाख केवल) का राष्ट्रपति की प्रशासनिक, तकनीकी अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति सूचित करने का निर्देश हुआ है।

2. यह स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर आधारित हैः

(i) यह कार्य तकनीकी नोट में दिए गये लक्ष्य व उल्लेख के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए।

(ii) चलू वर्ष के दौरान इस निर्माण कार्य पर व्यय तथा अन्य संस्वीकृत निर्माण कार्यों पर व्यय वर्ष के दौरान राज्य सरकार को आबंटित धनराशि से अधिक न हो।

(iii) अब संस्वीकृत संशोधित प्राक्कलन के अतिरिक्त कोई लागत निर्धारित सीमा में नहीं बदलेगी।

3. **यह व्यय मुख्यशीर्ष '5054' सड़कों और पुलों संबंध में पूँजीगत परिव्यय, 01–राष्ट्रीय राजमार्ग (उप मुख्यशीर्ष), 01.337 सड़क कार्य (लघु शीर्ष); 03–राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य; 03.01, केन्द्रीय सड़क निधि से वित पोषित कार्य; 03.01.53 – मुख्य कार्य के नाम डाला जाएगा जिसके लिए चालू वित वर्ष 2018–2019 के लिए संगत मांग संख्या '81'–सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है।**

4. अनुमोदन प्राक्कलन की एक प्रति अलग से मुख्य अभियन्ता (रा0मा0), लो0नि0वि0, लखनऊ को भेजी जा रही है।

P.T.O.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

5. सभी स्वीकृति कार्यों की तरह विहित प्रपत्र में 5 करोड़ से ज्यादा के कार्यों के लिए मासिक प्रगति रिपोर्ट एवं 5 करोड़ से कम कार्यों के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट इस मंत्रालय को भेजी जाए।

6. निम्नलिखित वस्तुगत और वित्तीय लक्ष्य (Cumulative) निधियों की उपलब्धता के आधार पर पूरा किया जाये।

Year	Cumulative progress				
	Physical	Financial (Rs.in crore.)			
		Construction	LA and other Pre-construction	Maintenance	Total
2018-19	40%	119.00	22.35	0	141.35
2019-20	100%	294.71	22.35	0	317.06
2020-21	100%	294.71	22.35	0.63	317.69
2021-22	100%	294.71	22.35	1.89	318.95
2022-23	100%	294.71	22.35	3.78	320.84
2023-24	100%	294.71	22.35	6.30	323.36

8. यह संस्वीकृति वित्त पक्ष की सहमति से उनके यू0ओ0 संख्या 779/TF-II/2018 दिनांक 10.09.2018 के द्वारा जारी की जाती है।

भवदीय
अ. शर्मा

संलग्नकःयथोपरि

(अनिल शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

अनुलग्नको के साथ प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. महालेखाकार, A.G(A&E)-I, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद–211 001।
2. प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, एजीसीआर बिल्डिंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
3. क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, हॉल सं. 1, सप्तम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226 019।
4. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, आई.डी.ए. बिल्डिंग, जामनगर हाऊस, नई दिल्ली।1
5. मुख्य अभियन्ता(राष्ट्रीय राजमार्ग), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, 96, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226 001।
6. मुख्य अभियन्ता – क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, बायो–टेक चौक (टेढी पुलिया), रिंग रोड़ विकास नगर, लखनऊ–226 022।

अ. शर्मा

((अनिल शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

अनुलग्नको के साथ प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता(पी–1)/ईई(पी–2)/एसई(मानिटरिंग)/मानिटरिंग प्रकोष्ठ/ डब्ल्यू एंड ए अनुभाग/वित्त पक्ष(टी एफ–2 अनुभाग)/परियोजना अनुभाग/ गार्ड फाईल

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner